उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-24/2026/423के-2/22-3-25-17(1167)/22

लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी माया (बन्दी संख्या-539/2019) पत्नी श्री रोशनलाल कठेरिया, निवासिनी म0नं0-95बी, ईडब्लूएस, बर्रा-7, थाना-बर्रा, जनपद-कानपुर नगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-792/2014 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-6, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 24-08-2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30-12-2021 तक भोगी गई 02 वर्ष, 04 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष, 26 दिन की सपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण होने व रजिस्टर नं0-1 के अनुसार आयु 62 वर्ष होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

3- पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।